संख्या-2/2017/895/37-1-2017-8(06)/2017

प्रेषक,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय- स्व0 हौसिला प्रसाद, पशुधन प्रसार अधिकारी के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने पत्र संख्या-320/स्था02/1-ख/13(2319)/ 2015, दिनांक 12-07-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 12-07-2017 के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों/बिल वाउचर्स आदि मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के नियम/प्रस्तर-23 के अन्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किये गये स्व0 हौसिला प्रसाद, पशुधन प्रसार अधिकारी की स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 2,81,242/- (दो लाख इक्यासी हजार दौ सौ बयालिस रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति पर शासकीय अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
उप सचिव।

Shashi Prakash